भाग-4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये

(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)

सामान्य कानूनी नियम।

सांख्यिकी विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 4, 2006

जी.एस.आर. 91- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 18) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2005 है।

   (2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नियम 9 का संशोधन:- राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 9 में, विद्यमान अभिव्यक्तियों ''दो रूपये'', पांच रूपये'' या ''दस रूपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''एक रूपया'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

-ह0-

संख्या एफ. 16 (1) स्टेट/2005

राज्यपाल के आदेश से,

वीनू गुप्ता,

शासन सचिव

आयोजना विभाग।